(238) (114)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

प्र. क्रमांक R-585-I/12

COURT FEE 10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R-585-I/12

प्रेमवती पुत्री मुनेश्वर प्रसाद तिवारी पत्नी राजमणि मिश्रा निवासी ग्राम छिरहाई तहसील रामनगर जिला सतना म.प्र. ....निगराकार

बनाम

1. मानवती पुत्री मुनेश्वर प्रसाद तिवारी पत्नी राजीव लोचन मिश्रा निवासी ग्राम उलहीकला तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र.
2. श्रीमती रामवती पिता मुनेश्वर प्रसाद तिवारी पत्नी बृजनंदन प्रसाद तिवारी ग्राम मथौरी तहसील मनगवां जिला रीवा म.प्र.
3. श्रीमती दयावती पिता मुनेश्वर प्रसाद तिवारी पत्नी रामसुखद निवासी ग्राम दिहाड तहसील मउगंज जिला रीवा म.प्र. ....गैरनिगराकारगण

अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत प्रसाद द्वारा प्रस्तुत
27/2/012

द्वितीय निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला सतना म.प्र. के आदेश प्रकरण कमांक 119/ निगरानी /2009.10 आदेश दिनांक 27.12.2011.

7.3.12

मान्यवर,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत करती है –

संक्षिप्त तथ्य :–

27/2/12

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगराकार तथा गैरनिगराकारगण मुनेश्वर प्रसाद की पुत्रियां हैं गैरनिगराकारगण विवाह के पष्चात् अपनी ससुराल में रहती थी किन्तु मुनेश्वर प्रसाद के कोई पुरूष संतान न होने के कारण अपने पिता के पास ही रहती थी व सेवा करती थी और इसी वजह से निगराकार के पिता ने वादग्रस्त आराजी नं. 442, 443, 541, 885, 953, 957 एवं 972 कुल किता 7 कुल रकवा 9.54 एकड बंटवारे में अपनी पुत्री निगराकार को दिया था जिसके बंटवारा नामांतरण हेतु अधीनस्थ विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त झिन्ना तहसील रामनगर के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उसके पिता मुनेश्वर प्रसाद ने सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया था और प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण कर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा निगराकार के हक में नामांतरण का आदेश पारित किया गया था उक्त आदेश के विरूद्ध गैरनिगराकारगण ने अपीलीय न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी अमरपाटन जिला सतना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ

Sukh Nidhan Singh
Advocate
?-285, Bharhut Nagar, SATNA (M.P.)
Enrolment No. M.P./282/1981

कमशः पेज ....2 पर

(114)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R.585-I/12 जिला– सतना

प्रेमवती तिवारी विरूद्ध मानवती तिवारी

(1)	(2)	(3)
16-1-19-	1. आवेदक की ओर से श्री इन्द्रजीत प्रसाद अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 119/निगरानी/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 27.12.11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

~~...विरुद्ध ...निगरानीकर्तागण ने अपीलीय न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी अमरपाटन जिला सतना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ~~

Sukh Nidhan Singh
Advocate
M-285, Bharhut Nagar, SATNA (M.P.)
Enrollment No. M.P./282/1981

क्रमशः पेज ....2 पर